

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जिला कलक्टर, बाड़मेर

बाड़मेर

अपीलार्थी-नरेश कुमार जैन पुत्र राजेन्द्र कुकुलोल निवासी मरुधर मार्केट अजमेर उत्तरदाता- उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

बनाम

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2022
किस्म मुकदमा न. सन् 24/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21.03.2022	<p>अपीलार्थी नरेश कुमार जैन पुत्र राजेन्द्र कुकुलोल निवासी मरुधर मार्केट मेवाडी गेट के अंदर महावीर बाजार, ब्यावर जिला अजमेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 22.02.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रुपये 10/- का पोस्टल ऑर्डर संख्या 577468 दिनांक 08.12.2021 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्धारित मयाद अवधि में प्रस्तुत नहीं होने से मयाद के बिन्दु पर जवाब हेतु अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलार्थी न तो निर्धारित सुनवाई तिथि को स्वयं उपस्थित हुआ तथा न ही अपील के विलम्ब से प्रस्तुत करने बाबत कोई संतुष्टिपरक कारण प्रकट किया गया है। फलतः यह अपील मयाद बाहर होने से श्रवणार्थ विचार योग्य प्रतीत नहीं होती है।</p> <p>अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन एवं मयाद बाहर होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हों व दाखिल दफ्तर हो।</p>	

जिला कलक्टर
बाड़मेर

